न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1845 / 2025

(झाझा थाना कांड संख्या 495 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

संजय कुमार बनाम राज्य सरकार

आदेश

25.04.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **संजय कुमार**, पिता पुनीत यादव उम्र 44 वर्ष, साकिन सिहान बरारी, थाना+जिला–जमुई के द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 495 / 25 अन्तर्गत धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) भा0द0वि0 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम 2019 की धारा 04, 21, 11, 39, 41, 43, 56 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0एन0 सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि जिला कार्यालय जमुई के Khanansoft लॉगिन आई0डी0 "dmojamui" Khanansoft पोर्टल पर लॉगिन करने पर ज्ञात हुआ कि जमुई जिला के आपके थानान्तर्गत तालिका में दर्ज अनुज्ञप्तिधारी यथा में संजय कुमार एवं दिनेश कुमार यादव द्वारा अवैध तरीके से अन्य राज्यों से रेलवे के माध्यम से जमुई जिले में बालू लाया गया है। विदित हो कि जमुई जिले में बालू प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है एवं राज्य व राज्य से बाहर के क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है।

उपरोक्त स्थिति में Khanansoft पोर्टल पर जमुई जिलान्तर्गत तालिका में दर्ज बालू भंडारण अनुज्ञप्तिधारी के आई0डी0 का विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं खनन कार्यालय जमुई के Khanansoft लॉगिन आई0डी0 "dmojamui"के बिना अनुमति के जिला खनन कार्यालय, जमुई के ई–मेल अथवा मोबाईल पर बिना ओ0टी0पी0 प्राप्त हुए Add capping के request को Approve कर अपने यूजर आई0डी0 में बालू की मात्रा / कैपिंग की मात्रा में बढ़ोतरी कराते हुए अन्य राज्यों से वृहत मात्रा में खनिज को बिना वैध ई–परिवहन चालान एवं बिना वैध E-way Bill के रिसिव किया गया है, जबकि विभागीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार तालिका में दर्ज अनुज्ञप्तिधारी को अपने आई0डी0 में बालू रिसिव करने की अनुमति कभी नहीं दी गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त कृत से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन न तो सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न तो लंबित है। यह कि आवेदक को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं मिला है। आवेदक पर खनन विभाग द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन है। यह कि सम्बन्धित

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1845 / 2025

(झाझा थाना कांड संख्या 495 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

संजय कुमार बनाम राज्य सरकार

25.04.2026
लगातार

पोर्टल लॉगिन पोर्टल पर सामग्री की मात्रा बढ़ाई गई है। आवेदक के पोर्टल लॉगिन पर विभाग द्वारा अनियमित प्रविष्टियां प्राप्त हो रही हैं। यह कि जब संबंधित विभागन ने इन अनियमितताओं को पाया और यह देखा कि मात्रा अतिरिक्त दिखाई गई है, तो संभावित कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए विभाग द्वारा यह मामला उठाया गया है। आवेदक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सामग्री का परिवहन हमेशा आवंटित क्षेत्रों और ई–अनुमति के नियमों के अनुसार ही किया गया है। स्थापित नियमों के अनुसार सभी लाईसेन्स धारकों के लिए एक निर्धारित सीमा होती है और पोर्टल पर इस सीमा से अधिक मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती। यह कि आवेदक को उचित नोटिस या सम्मन दिए बिना ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है जो बिहार खनिज नियमों के अनुसार निर्धारित कानून का उल्लंघन है। यह कि ढपरी गांव में रेत भंडारण के सम्बन्ध में खनन विभाग द्वारा कोई माप नहीं किया गया है तथा विभाग की ओर से 10,000 मिट्रिक टन अतिरिक्त रेत दिखाई गई है। यह कि धारा 318(4) लागू नहीं होती है क्योंकि आवेदक ने खनन विभाग के आई पोर्टल सॉफ्टवेयर की प्रणाली को बाधित करने के लिए कोई जाली दस्तावेज नहीं बनाए हैं क्योंकि यह प्रणाली खनन विभाग के नियंत्रण में है और बाकी अन्य आरोप भी निराधार है। आवेदक एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आवेदक न्यायालय में न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) भा0द0वि0 तथा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम 2019 की धाराएं 04, 21, 11, 39, 41, 43, 56 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आवेदक पर आरोप है कि Khanansoft लॉगिन आई0डी0 "dmojamui" Khanansoft पोर्टल पर लॉगिन करने पर ज्ञात हुआ कि जमुई जिला के आपके थानान्तर्गत तालिका में दर्ज अनुज्ञप्तिधारी यथा में संजय कुमार एवं दिनेश कुमार यादव द्वारा अवैध तरीके से अन्य राज्यों से रेलवे के माध्यम से जमुई जिले में बालू लाया गया है। विदित हो कि जमुई जिले में बालू की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है एवं राज्य व राज्य से बाहर के क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है।

उपरोक्त स्थिति में Khanansoft पोर्टल पर जमुई जिलान्तर्गत तालिका में दर्ज बालू भंडारण अनुज्ञप्तिधारी के आई0डी0 का विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं खनन कार्यालय जमुई के Khanansoft लॉगिन आई0डी0 "dmojamui"के बिना अनुमति के जिला खनन कार्यालय, जमुई के ई–मेल अथवा मोबाईल पर बिना ओ0टी0पी0 प्राप्त हुए

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1845/2025
(झाझा थाना कांड संख्या 495/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

संजय कुमार बनाम राज्य सरकार

25.04.2026
लगातार

Add capping के request को Approve कर अपने यूजर आई0डी0 में बालू की मात्रा/कैंपिंग की मात्रा में बढ़ोतरी कराते हुए अन्य राज्यों से वृहत मात्रा में खनिज को बिना वैध ई–परिवहन चालान एवं बिना वैध E-way Bill के रिसिव किया गया है, जबकि विभागीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार तालिका में दर्ज अनुज्ञप्तिधारी को अपने आई0डी0 में बालू रिसिव करने की अनुमति कभी नहीं दी गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त कृत से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। संजय कुमार सिंह अनुज्ञप्ति संख्या के0जमुई/13/25 , साकिन सिहान बरारी, थाना+जिला–जमुइ प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जमुई जिले में बालू की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है एवं राज्य एवं राज्य के बाहर के क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है फिर भी आवेदक द्वारा अवैध तरीके से अन्य राज्यों से रेलवे के माध्यम से जमुई जिले में बालू लाया गया है।

आवेदक द्वारा जमुई जिले मे रेल द्वारा बालू ढुलाई के सम्बन्ध में बिहार राज्य के बाहर बालू ढुलाई के सम्बन्ध में जिला जमुई में स्थित दो महत्वपूर्ण स्टेशनों रेलवे स्टेशन झाझा तथा रेलवे स्टेशन जमुई से इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में स्टेशन प्रबंधक पू0म0रेलवे जमुई द्वारा दिनांक 22.04.26 को न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया है जिसमें कथन किया है कि 'झाझा थाना कांड संख्या 495/2025 के अभियुक्त संजय कुमार पिता पुनीत यादव, साकिन सिहान, बरारी, थाना+जिला बेगूसराय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बालू अथवा गिट्टी जमुई स्टेशन पर माल गिराया अथवा मंगाया नहीं गया है तथा स्टेशन प्रबंधक झाझा द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 18.03.26 में कथन किया गया है कि स्टेशन अभिलेख के अनुसार बालू (श्री राम ट्रेडर्स, R P group ventures, Manirani construction private limited, RKS traders) एवं गिट्टी(RJ traders) की रेलवे में लोडिंग का इंटेंट ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है इस व्यक्तिगत नाम संजय कुमार पिता पुनीत यादव, साकिन सिहान, बरारी, थाना+जिला बेगूसराय द्वारा झाझा स्टेशन पर बालू या गिट्टी या कोई अन्य माल गिराने या मंगवाए जाने का रिकॉर्ड स्टेशन में नही है। सूचना के अधिकार के तहत ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर द्वारा दिनांक 08.01.2026 को सूचना संख्या Com/RTI05/PK/2026(01)08 द्वारा सूचना निर्गत किया गया है कि Vide under reference letter, the available information pertaining to this office has been furnished as under:-Sand traffic at JMU Goods for the last 02 years-NIL तथा सूचना संख्या वा0/सू0का0अधि.05/एस.डी./26(08)35, दानापुर दिनांक 15.01.2026 द्वारा सूचना निर्गत किया गया है कि माह जनवरी 2024 से जनवरी 2025(आज तक) झाझा गुड्स टर्मिनल से कोई बालू का लदान नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में इस आदेश की

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1845 / 2025

(झाझा थाना कांड संख्या 495 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

संजय कुमार बनाम राज्य सरकार

25.04.2026
लगातार

तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवेदक द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने पर तथा आवेदक द्वारा 1,00,000 / –रू0(एक लाख) के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय में न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के शर्तों का पालन करने पर एवं निम्न शर्तों का पालन करने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें–

1. आवेदक अनुसंधान में पुलिस को पूर्ण सहयोग करेंगे तथा पुलिस द्वारा जिस तारीख समय तथा स्थान पर आवेदक को बुलाया जायेगा आवेदक बिना किसी चूक के सदेह उपस्थित रहेंगे।

2. जमानतदारों के नाम से स्थायी संपत्ति तथा संपत्ति के कागजात होनी चाहिए।

3. जमानतदार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले व्यक्ति होने चाहिए।

4. आवेदक अभियुक्त इस वाद के तथ्यों तथा साक्ष्यों को न तो प्रभावित करेंगे और न ही प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारित–न्यायालय, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई